सं. 12/1/2013-रा0भा0(सेवा)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

एनडीसीसी–II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 16 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के संगठन को मान्यता प्रदान करने के संबंध में ।

****

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की दो अलग-अलग संगठनों (**केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह "क" अधिकारी एसोसिएशन एवं केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (अधिकारी संवर्ग) संगठन)** ने मान्यता प्रदान करने हेतु राजभाषा विभाग को दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। उक्त दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया था कि कुछ अधिकारियों ने इन दोनों ही संगठनों की सदस्यता हेतु फार्म भरे हैं तथा इन्हीं संगठनों को निर्धारित वार्षिक शुल्क प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया है जोकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरुप नहीं है।

2. इस सन्दर्भ में राजभाषा विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15 मई, 2013 के तहत संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे स्पष्ट करें कि वे उपरोक्त दोनों संगठनों में से किस संगठन की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, के सन्दर्भ में जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अत: दिनांक 15 मई, 2013 को जारी कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित सभी अधिकारियों से पुन: अनुरोध है कि संबंधित विषय पर अपना विकल्प इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवा दें ताकि **केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह "क" अधिकारी एसोसिएशन एवं केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (अधिकारी संवर्ग) संगठन की मान्यता** के संबध में अपेक्षित कार्रवाई की जा सके।

16/12/15.

(ए. के. सिंह)
निदेशक
दूरभाष: 23438126

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सबंधित सभी अधिकारी ।

प्रतिलिपि:

1. महासचिव, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (अधिकारी संवर्ग) संगठन, कमरा नं0 261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
2. महासचिव, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह "क" अधिकारी एसोसिएशन, जे-113, प्रथम तल, जल ब्लॉक, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003